न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (शहर), बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– मोनिका बलारा आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः– 69/2014

ऑनलाईन प्रकरण संख्याः– 2014/00142

1. श्रीमति ईमरती देवी पुत्री रामुराम पत्नी मेघाराम निवासी बादनू तहसील नोखा, बीकानेर।
2. श्रीमति मोहनी देवी पुत्री रामुराम पत्नी सुरजाराम निवासी गुसांईसर, बीकानेर ।
3. श्रीमति तुलछा देवी पुत्री रामुराम पत्नी केसराराम सुडसर तहसील श्री डूंगरगढ, बीकानेर।
4. श्रीमति जैनू पुत्री रामुराम पत्नी दुर्गाराम निवासी सुडसर तहसील श्री डूंगरगढ, बीकानेर।

––प्रार्थीगण––

–बनाम–

1. पेमाराम पुत्र रामुराम जाति जाट निवासी करमीसर तहसील बीकानेर ।
2. हड़मान राम पुत्र रामूराम जाति जाट निवासी करमीसर तहसील बीकानेर ।
3. हंसाराम पुत्र रामूराम जाति जाट निवासी करमीसर तहसील बीकानेर ।
4. श्रीमति लिछमा पत्नी स्व. चेतनराम निवासी करमीसर तहसील बीकानेर ।
5. भंवराराम पुत्र स्व. चेतनराम निवासी करमीसर तहसील बीकानेर ।
6. बीरबल राम पुत्र चेतनराम निवासी करमीसर तहसील बीकानेर ।
7. राजू पुत्री चेतनराम निवासी करमीसर तहसील बीकानेर ।
8. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार बीकानेर ।
9. श्रीमति रतना त्यागी पत्नी पंकज त्यागी निवासी शिव मंदिर के सामने, सुभाष पुरा, बीकानेर।
10. मनोज चौधरी पुत्र शिवराम चौधरी निवासी पी.डब्ल्यु.डी. क्वार्टर 75–76 के पीछे शिव कॉलोनी, सुभाष पुरा, बीकानेर ।
11. इन्द्र कुमार वधवा पुत्र चेतनदास निवासी 2 डी 72 जयनारायण व्यास कॉलोनी, बीकानेर।
12. धीरज पुत्र बृजलाल बिश्नोई निवासी पुरानी शिव बाडी रोड, बीकानेर ।
13. भंवरलाल पुत्र गोपीराम सारण निवासी रामपुरा बस्ती, लालगढ़, बीकानेर ।
14. श्रीमति प्रमिला पत्नी सत्येन्द्र बिश्नोई निवासी पुरानी शिव बाडी रोड़, बीकानेर।
15. श्रीमति राम स्नेही पत्नी बृजलाल बिश्नोई निवासी रानी बाजार, बीकानेर।
16. रूपेश कुमार लिम्बा पुत्र दानाराम निवासी सी–7 सादुल गंज, बीकानेर।

––अप्रार्थीगण––

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्त. अधि. 1955

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बीकानेर

अभिभाषक उपस्थितिः–

1. श्री राजेश लदरेचा, अभिभाषक प्रार्थीगण की ओर से ।
2. श्री दिनेश गहलोत, अभिभाषक अप्रार्थी की ओर से ।

–:निर्णयः–

दिनांकः– 03.07.2018

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि स्व. रामूराम पुत्र केसरा जाति जाट निवासी करमीसर तहसील बीकानेर के नाम से गैर खातेदारी कृषि भूमि रोही करमीसर

पटवार हल्का करमीसर तहसील बीकानेर में खसरा नं. 49/70 में तादादी 48 बीघा 8 बिस्वा कृषि भूमि गैर खातेदारी स्थित है। जिसमें प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 स्व. रामूराम के विधिक उतराधिकारी है। कार्यालय तहसील राजस्व के आदेश दिनांक 30.09. 1996 के द्वारा उक्त भूमि स्वर्गीय श्री रामूराम के वारिस अप्रार्थी स. 1 ता 7 के नाम दर्ज हुई, जिसका नामान्तरण क्रमांक 47 स्वीकृत हुआ है। स्व. रामूराम ने जीवनकाल में कभी भी कोई वसीयत नहीं की थी, अपने हाथ से ही सभी वारिसानों को अपनी भूमि बांट दी थी, उसी क्रम में आज भी प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है । प्रार्थी द्वारा खातेदारी अधिकार मिलने की जानकारी होने पर तहसील में पता किया, तो मालूम हुआ कि अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 ने समस्त भूमि अपने नाम दर्ज करा ली है । प्रार्थीगण रामूराम की पुत्रियॉं है, जिनका पैतृक भूमि खसरा नम्बर 49/70 में बराबर–बराबर 1/8–1/8 हिस्सा है । जिसे बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स अलग–अलग हिस्सा दर्ज किये जाने तक अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण के हिस्से 4/8 की हद तक बेदखल ना करे, ना ही कोई कृत्य ही करे । ना ही मौके व रिकॉर्ड की स्थिति में कोई परिवर्तन ही करें । जिससे प्रार्थीगण के अधिकारों पर कोई प्रतिकूल असर पडें। अप्रार्थीगण उक्त भूमि को आगे विक्रय ना करें। इसलिए अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण जारी की जावें।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया । जिसपर अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 व 6 की ओर से अभिभाषक श्री बहादुर राम सुथार ने उपस्थित आकर जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 व 6 को स्वीकार है । साथ ही कथन किया कि अप्रार्थीगण अनपढ़ ग्रामीण है, उन्होने अपने हिस्से की जमीन का सौदा कर दिया था, परन्तु जमीन गैर खातेदारी होने से उसकी खातेदारी का जिम्मा मास्टर धीरज बिश्नोई को सौंपा था । जिसने चालाकी से बहनों का नाम हटा कर खातेदारी सिर्फ अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 के नाम से जारी करवा दी । अप्रार्थीगण ने सिर्फ अपना हिस्सा ही धीरज बिश्नाई को बेचा था। उक्त विवादित जमीन में स्व. रामूराम की बेटियों का हिस्सा बनता है ।

3. प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 9 ता 15 की ओर से अभिभाषक श्री दिनेश गहलोत ने उपस्थित आकर जवाब पेश कर प्रार्थना पत्र के कथनों को अस्वीकार कर कथन किया कि वादगत रकबे खसरा नम्बर 49/70 रकबा 48 बीघा 8 बिस्वा (कच्चा) जिसके नये खसरा नम्बर 53 रकबा 25 बीघा 8 बिस्वा भूमि पर प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 का कोई कब्जा काश्त नहीं है । वादगत भूमि पैतृक भूमि नहीं होने से प्रार्थीगण का कोई प्राईमा फेसी केस सिद्ध नहीं है, ना ही सुविधा का सन्तुलन उनके पक्ष में है और ना ही कोई क्षति पहुँचने की सम्भावना है । साथ ही विशेष कथन कर उल्लेख किया कि वादगत रकबा खसरा नम्बर 49/70 की तादादी 48 बीघा 8 बिस्वा रामूराम को संवत 2017 में एक साला मंजूरी हुई और राजस्व रिकॉर्ड में उनका नाम बतौर काश्तकार दर्ज चला आ रहा था। जिनका स्वर्गवास हो जाने के पश्चात् पेमाराम वगैराह तथा चेतनराम के नाम से वादगत भूमि अस्थाई आंवटन कर दी गई, जिसका अंकन राजस्व रिकॉर्ड गिरदावरी 2033 से 2065 तक अंकित चला आ रहा था। आवंटन की शर्तों की पालना करने के आधार पर एवं राज्य सरकार के आदेशों की पालना में अस्थाई आवंटियों को खातेदारी प्रदान करने से पेमाराम, हडमान, हंसाराम पुत्रगण रामूराम 3/4 हिस्सा व मु. लिछमा पत्नी चेतनराम तथा भंवराराम, बीरबल पुत्रगण चेतनराम, राजू पुत्री चेतनराम 1/4 हिस्सा को वादगत भूमि ग्राम करमीसर के खसरा नम्बर 53 की 20 बीघा 14 बिस्वा भूमि पर तहसीलदार राजस्व, बीकानेर द्वारा दिनांक 30.09.1996 को खातेदारी सनद जारी कर दी । जिसके आधार पर उपरोक्त सभी हिस्सेदारों के नाम राजस्व रिकॉर्ड में जरिये इंतकाल संख्या 342 दर्ज हुवें । जिन्होनें उपरोक्त लिखित भूमि जिसके पक्के 29 बीघा 1 बिस्वा हम अप्रार्थीगण को जरिये विक्रय पत्र विक्रय कर दी तथा विक्रय पत्रों के आधार पर इंतकाल संख्या 454 हम अप्रार्थीगण के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया । आगे कथन किया कि चूंकि वादगत भूमि पेमाराम वगैराह को अस्थाई आंवटन की गई है । इसलिए यह पैतृक भूमि नहीं होकर उनकी स्व उपार्जित भूमि है । जिसके कारण इसपर किसी भी प्रकार के विरास्तन अधिकार प्रार्थीगण को प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है और ना ही किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त होने की सम्भावना है । साथ ही तहसीलदार राजस्व, बीकानेर द्वारा 1996 मे दी गई खातेदारी सनद के विरूद्ध भी प्रार्थीगण द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है । जबकि वे

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बीकानेर

इसके खिलाफ अपील कर सकते थे । इसलिए खातेदारी आदेश आज भी प्रभाव में है, जिससे प्रार्थीगण का कोई सम्बंध नहीं है । इसलिए इसके विपरित प्रार्थीगण किसी भी प्रकार की रिलीफ प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है । अप्रार्थी संख्या 9 ता 15 वादग्रस्त भूमि पर काबिज काश्त है, प्रार्थीगण का कोई कब्जा नहीं है। इसलिए प्राईमा फेसी केस अप्रार्थी संख्या 9 ता 15 के पक्ष में सिद्ध होता है । सुविधा का सन्तुलन भी अप्रार्थी संख्या 9 ता 15 का है, और निषेधाज्ञा जारी रख कर प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को जबरन बेदखल करने की कोशिश में है । जिसमें सफल होने पर अप्रार्थी संख्या 9 ता 15 को अपूर्णीय क्षति होगी । इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जावें ।

4. प्रकरण में बहस उभयपक्ष सुनी गई ।

5. वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया की चूंकि विवादित भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें रामुराम की पुत्रियों (प्रार्थी) का जन्मगत अधिकार है। विवादित भूमि का एक बार बेचान होकर नामान्तरण भरे जाकर जमाबन्दी में भी बदलाव हो चुका है, जिससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति हुई हैं । और आगे भी यदि रिकॉर्ड में परिवर्तन होता है तो इससे ओर मुकदमेबाजी बढेगी, अतः दावे के निरतारण तक अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा इस बाबत पाबन्द किया जाए कि वे उक्त भूमि को आगे विक्रय, बेय,हस्तान्तरण नहीं करें।

6. वकील अप्रार्थीगण सं. 9 ता 16 ने अपनी बहस में कथन किया कि टाइटल का निर्धारण 212 RTA के प्रार्थना पत्र में नहीं किया जाना है, प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा नहीं है, अप्रार्थीगण 9 ता 16 उक्त भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार व मौके पर कब्जेकाश्त है। रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। इसके समर्थन में उन्होनें निम्न नजीरें पेश की–

(i) RRT 2012(1) P 95
(ii) RRD 2013 P 540
(iii) RRT 2010(1) P 588

7. हमने वकुलाय उभयपक्ष की बहस पर गहनता से मनन किया, व पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया।

8. प्रार्थीगण विवादित भूमि को पैतृक सम्पत्ति बताते हुए खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु दावा लाए है । हमनें दस्तावेजों का अवलोकन किया । तहसीलदार, बीकानेर द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 को खातेदारी सनद प्रदान की गई थी। यह सनद सही थी अथवा नहीं, यह दावें में साक्ष्य के बाद तय किया जावेगा ।

9. प्रार्थीगण का नाम किसी भी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। प्रार्थीगण ने अपने कब्जे काश्त बाबत् भी कोई रिकॉर्ड हमारे समक्ष पेश नहीं किया है ।

10. पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 9 ता 16 विवादित भूमि पर खातेदार काश्तकार है, मौके पर भी अप्रार्थीगण का कब्जा है।

11. अप्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत नजीरों का अध्ययन किया । इनमें RRT 2010(1) P 588 इस मामले में चस्पा होती है । इस नजीर के पैरा संख्या 14 से यह स्पष्ट है " **चूंकि वर्तमान प्रकरण अस्थाई निषेद्याज्ञा से सम्बंधित है, अतः हक हकूकों का निस्तारण मूलवाद में साक्ष्यों से होना है । वर्तमान प्रकरण में यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि का खातेदार अप्रार्थीगण है तथा विवादित भूमि पर अप्रार्थीगण का बहुत पुराना कब्जा काश्त चला आ रहा है । ऐसी स्थिति में एक काबिज व्यक्ति के विरूद्ध अस्थाई निषेद्याज्ञा जारी नहीं की जा सकती । वैसे भी वर्तमान राजस्व अभिलेख के अनुसार अप्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदार कृषक होकर काबिज है । अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन आदि अप्रार्थीगण के पक्ष में है।**"

12. रिकॉर्ड व कब्जे के आधार पर प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन सिद्ध नही होता ।

13. प्रार्थी लम्बे समय से भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार है, उनके द्वारा कोई विक्रय नहीं किया गया । इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण भूमि को बेचने पर भी उतारू नहीं है । अतः अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थीगण को होने की सम्भावना नहीं है ।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बीकानेर

14. अतः हमारा विचार है कि जब तक वाद की विषयवस्तु व टाईटल अस्पष्ट है व अप्रार्थीगण भूमि के रिकॉर्डेड़ खातेदार है और प्रथम दृष्ट्या भूमि पर काबिज काश्त है, ऐसी स्थिति में अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थीगण के पक्ष में जारी नहीं की जा सकती ।

15. उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है।

16. निर्णय आज दिनांक 03.07.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया व इस न्यायालय की मोहर से जारी किया गया ।

(मोनिका बलारा)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(शहर), बीकानेर

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बीकानेर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official